गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

Killings of Minorities in Kashmir

2342. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether at least 23 persons belonging to minoriities in Kashmir, including children, were gunned down in the valley on the 49th Republic day in Vandhama village of Ganderbal;

(b) if so, what steps have, so far, been taken to apprehend the culprits, and with what success; and

(c) the identity of these miscreants or militants?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The State Government through their police and security forces are launching continuous operations to nab the culprits involved in the various terrorist related incidents including the Vandhama incident. So for no report has been received from the State Government about the identity of the culprits involved in the incident.

Deployment of Rashtriya Rifles in North-Eastern States

2343. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government aware of the claim made by Director-General of Rashtriya Rifles that situation in insurgency-hit areas, especially in North, has improved and there will not be further expansion of this force;

(b) whether Government are proposing to deploy Rashtriya Rifles more vigorously in North-Eastern States to tackle insurgency; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Information is being collected from the concerned Ministry and will be laid on the Table of the House.

पुलिस अधिकारियों द्वारा षड़यंत्र

2344. **श्री रामजी लाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के "दैनिक जागरण" में "पुलिस की कहानी को मनगढ़न्त बताया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन प्रकरणों में षड़यंत्र करने के लिए आरोपित पुलिस अधिकारियों के बारे में स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन अधिकारियों ने कथित मुठभेड़ में पहले भी लोगों को मारा था जैसाकि समाचार-पत्र में खबर छपी है; और

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। कनाट प्लेस गोलीकाण्ड मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की गयी जांच के आधार पर, दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों के विरुद्ध 13 जून, 1997 को न्यायालय में एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

इनमें से, एक के सिवाय और कोई भी पुलिस कर्मी पहले किसी मुठभेड़ में शामिल नहीं था। तथापि, इस प्रकार की पहले हुई मुठभेड़ों की संख्या केवल एक है, और न कि दो, जैसा कि उक्त शीर्षकाधीन समाचार में दिया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2345. **श्री रामजी लाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी है;

(ख) उनमें से कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उन्हें दी जा रही अन्य सहायता एवं सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अविवाहित स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में जिनका देहान्त हो गया है, सरकार परिवार के किस सदस्य को पेंशन या अन्य सहायता प्रदान करती है तथा क्या सरकार को ऐसे परिवारों के बारे में जानकारी है; और

(घ) क्या सरकार अविवाहित स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गोद लिए गए सदस्य को सहायता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ख) संलग्न विवरण-I में वे मामले दर्शाए गए है जिनमें 31.5.1998 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की गई है। **(नीचे देखिए)** केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्राता सेनानी पेंशन भोगियों और उनके पात्र आश्रितों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/सहायता से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) किसी अविवाहित स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाने पर उसकी/उसके माता-पिता, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार 1000/- रु० प्रतिमाह आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। वे लोग केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के भी हकदार है। उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी०जी०एच०एस०) सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। दिवंगत अविवाहित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों के संबंध में कोई अलग ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

उन मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनमें 31.5.1998 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई।
1.	आन्ध्र प्रदेश	11189
2.	असम	4346
3.	बिहार	24801
4.	गोवा	911
5.	गुजरात	3575
6.	हरियाणा	1671
7.	हिमाचल प्रदेश	598
8.	जम्मू व कश्मीर	1805
9.	कर्नाटक	10002
10.	केरल	2828
11.	मध्य प्रदेश	3351
12.	महाराष्ट्र	16538
13.	मणिपुर	62
14.	मेघालय	86
15.	मिजोरम	04
16.	नागालैंड	03
17.	उड़ीसा	4180
18.	पंजाब	6920
19.	राजस्थान	796
20.	तमिलनाडु	4081
21.	त्रिपुरा	886
22.	उत्तर प्रदेश	17966
23.	पश्चिम बंगाल	22413
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	02
25.	चण्डीगढ़	89
26.	दमन एवं द्वीव	33
27.	दिल्ली	2038
28.	आई० एन० ए०	22289
29.	पांडिचेरी	314
	कुल : =	1,63,777

विवरण-2

उन सुविधाओं/सहायता के ब्यौरे जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वालों तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों/आश्रितों को प्रदान की जाती है

1. स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं/परिचर को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए०सी०-II टायर) की सुविधा।

2. केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को भी सी०जी०एच०एस० सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

3. यदि राष्ट्रीय हित में या अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता है तो स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में आवासीय निवास की सुविधा। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को आबंटिती व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् केवल छः माह की अवधि के लिए सरकारी आवास रखने की अनुमति दी जाएगी।

4. ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित "फ्रीडम फाइटर होम" में स्थान।

5. स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को, यदि संभव हो, संस्थापन के बिना और किराए का केवल आधे का भुगतान करने पर टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा।

6. स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्री/पुत्रियों के विवाह के अवसर पर गृह मंत्री के विवेकानुदान से वित्तीय सहायता।

Central Teams for States

2346. **SHRI N.R. DASARI:**
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that central teams were sent to Bihar, West Bengal and Tamil Nadu to assess the law and order situation in these States;

(b) if so, the details and findings thereof;

(c) whether the Chief Ministers of these States have objected to this discriminatory action on the part of Government; and

(d) if so, the details and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The reports of these teams have been received and these relate to prevailing law & order situation in these States and steps taken by them to instil confidence among the people.

(c) and (d) Reservations have been expressed by some political leaders about the constitutionality of sending Central teams to the States.

Article 355 of the Constitution of India casts a duty on the Union to protect every State not only against external aggression but also internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. In the discharge of this duty, the Central Government is expected to keep itself posted with respect to goings on in all States. Visits of Central officials to the States are part of this process. The Central and State Government have all along been interacting on issues relating to law and order.

Recovery of Explosives in Tamil Nadu

2347. **SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

(a) whether Government are aware of the increasing number of cases of recovery of chemical weapons, explosives and other such materials in Tamil Nadu;